# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या 1092/2023**

मयूर मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 13.03.2023
**आदेश की दिनांक** : 04.04.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

**समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापिका के पद पर हुई थी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 22.08.2022 एवं दिनांक 28.08.2022 की अनुपालना में व स्थानान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के रिक्त पदों पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर के द्वारा आयोजित साक्षात्कार दिनांक 01.09.2022 की प्रक्रिया उपरान्त आदेश दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सागवाड लेवल प्रथम के पद पर पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम सागवाड गडावन ब्लॉक ऋषभदेव उदयपुर में कार्यरत रहता चाहता है क्योंकि दोनों विद्यालय एक ही ब्लॉक में है। दोनों ही विद्यालय में अपीलार्थी परिवीक्षाकाल में चल रहा है। अपीलार्थी ने अपनी परिस्थिति के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 10.03.2022 (अनुलग्नक—2) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अपीलार्थी को वापस मूल पदस्थापन स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय मूल ऋषभदेव के लिए कार्यमुक्त करे क्योंकि अपीलार्थी अंग्रेजी विषय में दक्ष नहीं है इस कारण से अपीलार्थी को पढाने में काफी कठिनाई हो रही है परन्तु

आज दिनांक तक भी कार्यमुक्त नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**